न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य.

प्रकरण कमांक निग0 3266—एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 05—9—16 पारित द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 32/अ—6/2004—05.

———

अशोक कुमार वल्द शंकर प्रसाद गोयनका,
उम्र लगभग 58 वर्ष
निवासी — स्टेशन रोड, कटनी म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

1— हरिप्रसाद आत्मज सीताशरण तिवारी,
एडवोकेट सिविल कोर्ट कटनी म.प्र.
2— अंबिका प्रसाद (फौत)
अ. श्रीमति मिथला पत्नि स्व. अंबिका प्रसाद पाण्डे
ब. संजीव पुत्र अंबिका प्रसाद पाण्डे
स. कुमारी खेम पुत्री अंबिका प्रसाद माण्डे
द. कुमारी रीमा पुत्री अंबिका प्रसाद पाण्डे
सभी निवासी पनागर
जिला जबलपुर म0प्र0 ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. धाकड़ ।
अनावेदक कमांक — 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा ।

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/1/18 को पारित)

———

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 32/अ—6/2004—05 में पारित आदेश दिनांक 05—9—2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम विजयराघवगढ़ नं.बं. 71 प.ह.नं. 12 स्थित भूमि खसरा नं. 451 रकबा 2.088 हैक्टर में से

1.670 हैक्टर भूमि दिनांक 20.2.96 को एवं खसरा नं. 451 रकबा 0.210 हैक्टर भूमि दिनांक 20.3.96 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई। उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर आवेदक का नामांतरण संशोधन पंजी क्रमांक 33 में पारित आदेश दिनांक 29–10–1998 द्वारा किया गया। इस आदश के विरूद्ध अनावेदक क्रं. 2 मृतक अंबिका प्रसाद द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 4.11.2000 को आदेश पारित करते हुए प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण को तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया ।

प्रत्यावर्तन के उपरांत प्रकरण तहसीलदार न्यायालय में पुनः प्रचलित हुआ। कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्रमांक 1 हरिप्रसाद द्वारा आपत्ति की गई है तथा पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन दिया जो उन्होंने आदेश दिनांक 9.3.04 द्वारा निरस्त किया एवं विवादित भूमि खसरा नं. 451 में से रकबा 1.670 हेक्टर पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये ।

तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 हरिप्रसाद एवं अनावेदक क्रमांक 2 मृतक अंबिका प्रसाद ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील आदेश दिनांक 27.9.04 द्वारा स्वीकार की एवं तहसीलदार का आदेश निरस्त किया एवं विवादित भूमि पर अनावेदक क्रं. 1 हरिप्रसाद का नाम दर्ज करने का आदेश दिया ।

अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील की । प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक क्रं. 1 द्वारा आपत्ति की गई जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 15–2–05 द्वारा निरस्त की अपर आयुक्त के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध अनावेदक हरिप्रसाद ने इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 30–12–05 द्वारा निरस्त की गई एवं प्रकरण विधिवत अपील के निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को वापिस किया गया ।

राजस्व मंडल के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय को विधिक आधार पर दिनांक 30.6.12 के पूर्व उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए निराकरण करने के आदेश देते हुए किए जाने के निर्देश के साथ याचिका निराकृत की । माननीय

उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए आवेदक की अपील निरस्त की। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई है । निगरानी के प्रचलन के दौरान अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा निगरानी की प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति की गई जिस पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17—10—17 को आदेश पारित कर आवेदक की प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति निरस्त करते हुए प्रकरण प्रचलन योग्य मानते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। इस आदेश को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक एम.पी. 882 / 2017 में दिनांक 5—12—17 को आदेश पारित करते हुए इस न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण में अंतिम रूप से सुनवाई किए जाने के पूर्व अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन (अनेक्चर पी—4) में उल्लिखित सभी आधारों का विधिनुसार निराकरण आपत्ति 2 माह में करने के निर्देश दिए गए हैं । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया । अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति आवेदन के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

3 / अनावेदक कमांक 1 की ओर से उठाई गई उक्त आपत्तियों पर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4 / आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम विजयराघवगढ नं. 71 पटवारी हल्का नं. 12 स्थित भूमि खसरा नं. 451 रकवा 2.088 हे. में से रकवा 1.670 हे. भूमि प्रतिफल राशि 80,000 / — राशि प्रतिफल में पंजीकृत दिनांक 20.02.1996 एवं खसरा नं. 451 रकवा 0. 210 हे. दिनांक 20.03.96 पंजीकृत विक्रय—पत्र के माध्यम से क्रय किया गया था। उक्त विक्रय—पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश दिनांक 29.10.1998 पारित किया गया। जिसका राजस्व अभिलेख में वर्तमान पंचशाला खसरा में नाम अंकित है। उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल बना कर हमारे द्वारा निर्मित कुए पर बिजली कनेक्शन लगाया गया तथा स्वयं के द्वारा पेड़—पौधे लगाकर बगीचा निर्मित है। कुछ भाग पर वर्ष 2013 में भवन निर्माण हेतु डायवर्सन कराया गया है। जिसकी प्रति पूर्व मेंन्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है एवं विजयराघवगढ़ में नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2005 में टैक्स जमा किया गया

है जिसकी रसीदें एवं भवन निर्माण की अनुमति एवं शुल्क जमा करने की रसीदें दिनांक 07.11.2017 में दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इस कारण अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में उन्हीं बिन्दुओं की पुनरावृत्ति की गई है। इस कारण आपत्ति का कोई औचित्य ना होने से प्रस्तुत लिखित तर्क एवं आपत्ति निरस्त करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनावेदक क्र. 1 एवं अम्बिकाप्रसाद तिवारी का अपीलान्ट के रूप में संयोजित करते हुए अपील प्रस्तुत की गई, परंतु बकालतनामा पर अम्बिकाप्रसाद के हस्ताक्षर नहीं होने के बाद भी प्रकरण कायम किया गया। जिसमें अनावेदक क्र. 1 द्वारा यह लेख किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 15.05.87 को एक अपंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय किया है, दिनांक 23.01.2004 को इम्पाउण्ड कराया है, परंतु अनावेदक क्र. 1 द्वारा आवेदक से पूर्व में उक्त भूमि को क्रय किया गया है। इस आधार पर पश्चातवर्ती क्रेता को कोई अधिकार नहीं, परंतु उक्त विधिक बिन्दु यह है कि विधिवत परीक्षण किए बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा 27.09.2004 को आदेश पारित किया है, जिसमें भूमि सर्वे क्रमांक 451 रकवा 2.088 हे. में से रकवा 1.886 हे. भूमि पर एवं सर्वे क्र. 451 रकवा 0.210 हे. को पंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय किया है। जिसका राजस्व अभिलेख पर नाम अंकित हो तथा मौके पर विधिवत कब्जा सिद्ध किया हो। तब प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपने आप में अपूर्ण होने से शून्यवत है, क्योंकि अपंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 15. 05.87 की कच्ची टीप अंकित होना बताया है जिस पर एक–एक रुपये के रसीदी टिकिट चिपकाए गए हैं। परंतु वर्ष 1987 में रसीदी टिकिट प्रचलन में नहीं थे। रसीदी टिकिट वर्ष 1994–95 में प्रचलन में आये हैं । उक्त संपत्ति 5,00,000/– से अधिक की होने के कारण कच्ची टीप अंकित नहीं की जा सकती। उक्त टीप फर्जी होने से इसका लाभ अनावेदक क्र. 1 को नहीं दिया जा सकता।

आवेदक की ओर से लिखित बहस में यह आधार भी लिया गया है कि राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक निगरानी–296–दो/2005 में पारित आदेश दिनांक 30. 12.2005 के विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 22.03.2012 को ये कहते हुए कि

उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश का पालन किए बिना तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है । यह तर्क भी दिया गया है कि अनावेदक का विक्रय–पत्र पूर्णतः फर्जी हैं, क्योंकि दिनांक 15.05.1987 के अपंजीकृत विक्रयपत्र में एक–एक रुपये के रसीदी टिकिट उपयोग किए गए हैं, जबकि वर्ष 1987 में उक्त रसीदी टिकिट प्रचलन में नहीं थे। इस कारण उक्त अपंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर अनावेदकगण को स्वत्व अर्जित नहीं होता है। इस कारण अनावेदकगण की आपत्ति आधारहीन होने से निरस्त करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

5/ अनावेदक क्रं. 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अशोक कुमार गोयनका प्रश्नाधीन भूमि का बाद का क्रेता है और इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अवधारित किया है कि अशोक कुमार गोयनका बाद का क्रेता है। अनावेदक ने दिनांक 15.05.87 को प्रश्नाधीन भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और आज भी जमीन का भूमिस्वामी मालिक काबिज है। अशोक कुमार गोयनका ने 1996 में प्रश्नाधीन भूमि खरीदी थी। उसके बयनामे में पेड़, पौधा, कुंआ, इत्यादि दर्शित नहीं थे। अनावेदक की शिकायत पर उसका बयनामा जब्त कर लिया गया था और उक्त बयनामा को अशोक कुमार गोयनका द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह तर्क भी दिया गया है कि कि आवेदक अशोक कुमार गोयनका ने अपना मूल बयनामा किसी न्यायालय में पेश नहीं किया और ना ही उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बयनामा प्रस्तुत कर प्रमाणित कराया गया है और ना ही बयनामे के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक का दस्तावेज बयनामा दिनांक 15.05.87 को लिख गया जो वर्ष 2004 में इम्पाउण्ड हुआ है तथा साक्ष्य में ग्राह्य किया गया है। विधि का मान्य तथ्य है कि पंजीकृत बयनामा इम्पाउण्ड होने के बाद साक्ष्य में ग्राह्य हो गया। ऐसे बयनामा को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है।

यह भी तर्क दिया गया है कि विलेख इम्पाउण्ड होने के बाद उसी तारीख से पढ़ा जावेगा जिस दिन तारीख को वह निष्पादित हुआ है। अनावेदक को बयनामा दिनांक 15.05.87 को लिखा गया था। क्रेताओं ने कीमत राशि प्राप्त कर अनावेदक को

कब्जा दे दिया था तब से आज तक अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि तथा लगे वृक्षों पर काबिज मालिक है। अनावेदक का बयनामा दिनांक 15.05.87 को लिखा गया था। दिनांक 23.01.2004 को रजिस्ट्री राशि व दण्ड राशि चालान क्रमांक 96 / 16 के द्वारा जमा की जाकर दिनांक 24.01.2004 को विक्रय–पत्र इम्पाउण्ड हो गया था। उपरोक्तानुसार विक्रय–पत्र जिस तारीख को निष्पादित हुआ है उसी तारीख को पढ़ा जावेगा।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि कि अमरनाथ वगैरह जो प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी थे, ने दिनांक 20.02.96 को नीरज चतुर्वेदी के नाम पर दानपत्र लिखा था। उस दानपत्र के आधार पर तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा राजस्व प्र0क्र0 485 / बी–121 / 95–96 आदेश दिनांक 11.06.96 के अनुसार नीरज चतुर्वेदी का नाम दर्ज कर दिया गया था। इसके बाद अनावेदक द्वारा आवेदन–पत्र लगाने पर रा0प्र0क्र0 74 / अ–6 / 96–97 हरिप्रसाद तिवारी विरुद्ध नीरज के नाम पर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक के नाम पर दर्ज कर दिया गया और नीरज चतुर्वेदी का नाम निरस्त कर दिया गया, क्योंकि नीरज चतुर्वेदी द्वारा लिखित में दिया गया कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कब्जा नहीं है, अनावेदक का कब्जा है। अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि पर बतौर भूमि स्वामी काबिज है। अशोक कुमार गोयनका को पुनरीक्षण दायर करने का अधिकार नहीं है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाले हैं। अधीनस्थ न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि आवेदक का बयनामा अनावेदक के बयनामे के बाद का है। अनावेदक का कब्जा अनुविभागीय अधिकारी ने 17 वर्ष का होना आदेश में दर्शाया है। आयुक्त महोदय जबलपुर ने भी अवधारित किया है कि अनावेदक का कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 15.05.87 से है। जिलाध्यक्ष महोदय कटनी ने अपने आदेश में अवतरित किया है कि अनावेदक 1987 से प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज है। तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा रा0प्र0क्र0 74 / अ–6 / 96–97 में दर्ज किया है कि अनावेदक का कब्जा है। अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है। इस तरह आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका ग्राह्य किए जाने योग्य नहीं है। अनावेदक द्वारा प्रारंभिक आपत्ति में जो बिन्दु उठाए हैं उनका समुचित अवसर कंडिकावार आवेदक द्वारा माननीय

न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 5 सीपीसी के अनुसार अनावेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि आवेदक ने जो पुनरीक्षण याचिका दायर की है उसके कंडिका 3 और 4 में पृष्ठ 6 पर लिखा है कि आवेदक के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 19.02.96 का है। उसने इसी कंडिका में अनावेदक के बयनामा को 15. 05.87 को होना स्वीकार किया है, किंतु पुनरीक्षण याचिका में लिखा है कि अनावेदक का बयनामा दिनांक 24.01.2004 को इम्पाउण्ड होना स्वीकार किया गया है। पुनरीक्षण याचिका में आवेदक द्वारा विधि का कोई भी संस्थित बिन्दु नहीं उठाया गया है । अपने लिखित तर्कों में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में मूल विवाद आवेदक के पक्ष में निष्पादित विकयपत्र दिनांक 19–2–96 और अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में संपादित अपंजीकृत विकयपत्र दिनांक 15–5–87 जो दिनांक 24–1–2004 को इम्पाण्ड कराया गया है, में से कौनसा बैनामा पश्चातवर्ती है इस बिंदु को लेकर है । प्रकरण को देखने से यह पाया जाता है कि जो आपत्तियां अनावेदक कमांक 1 द्वारा उठाई गई हैं वे सभी एक–दूसरे से संबंधित हैं अतः उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित भूमि ग्राम विजयराघवगढ़ में स्थित है और उसका खसरा नं. 451 रकबा 2.088 हैक्टर और उसके भूमिस्वामी अमरनाथ आदि थे सही है । जहां तक अन्य आपत्तियों का प्रश्न है उनके संबंध में संबंध में यह पाया जाता है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदक को पश्चातवर्ती क्रेता इस आधार पर बताया जा रहा है कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को दिनांक 15–5–87 को अपंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय किया गया था और उस अपंजीकृत विक्रयपत्र को दिनांक 24–4–04 द्वारा पंजीकृत कर लिया गया है, इसलिए उसे दिनांक 15–5–87 से ही प्रभावी माना जायेगा, विधिसम्मत नहीं है क्योंकि इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्र0क्र0 296–दो/05 में पारित आदेश दिनांक 30.12.05 के पैरा 5 में स्पष्ट विवेचना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की

धारा 17 (1) के तहत अचल संपत्ति, जिसका मूल्य 100 / — से अधिक हो का रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीयन होना अनिवार्य है । तथाकथित अपंजीकृत विक्रयपत्र पर दिनांक 23.1.04 को स्टाम्प डयूटी के भुगतान किए जाने से उसे दिनांक 15—5—87 से रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत उसे रजिस्टर्ड डाक्यूमेंट मान्य नहीं किया जा सकता । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अनावेदक क्रमांक 1 के अपंजीकृत विकयपत्र दिनांक 15—5—87 जिसको दिनांक 24—1—04 को इम्पाउन्ड कराया गया है, को पूर्व का और आवेदक के विक्रयपत्र दिनांक 20—6—96 को पश्चातवर्ती होना मान्य करते हुए जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक और त्रुटिपूर्ण है और अनुविभागीय अधिकारी के निर्णय को स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी त्रुटि की गई है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में उठाई गईं आपत्तियां तथा लिखित बहस में दिए गए तर्क निराधार होने से मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः उन्हें अमान्य किया जाता है तथा यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है एवं आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 5—9—16 निरस्त किया जाता है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर